

गोप्य प्रदेश शासन
स्थान शिला विभाग
गंत्रालय

चलांग भवन, गोपाल-462004

क्रमांक- ५४०/८३२/२०२०/२०-३

गोपाल, २०.८.११/२०२०

प्रति,

सचिव
सी०बी०एस०ई०
बई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संख्या को सी०बी०एस०ई० बई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अवाप्ति प्रगाण पत्र देने वाहत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संख्या-आदित्य बर्ल्ड स्कूल
ज्यालियर, जिला-ज्यालियर, गोप्र० को सी०बी०एस०ई० बई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अवाप्ति प्रगाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता
है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अव्य बोर्ड से सम्बद्धता गितवे के
उपरांत भी गोप्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
गान्धीता विषयम्, 2017 में दिये गये प्रावधारों का पालन किया जावेगा;
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति गो संभागीय संयुक्त
संघालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा बांगांकित एक प्रतिविधि को
सदस्य के रूप में जामापित्र करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अविवार्य होगी।
- (3) संख्या द्वारा प्रदेश संबंधी विषयम् प्रक्रिया द्वारा विधारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क देवे गो पालकों का शोषण बही
किया जायेगा।
- (4) संख्या विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होवे वाले रांकृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अव्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छान्नावारा भवन की सुविधा आदि आवश्यकताबुरार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संख्या से वर्चन पत्र लिखा जाये।
- (5) संख्या द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, रांकृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन गो सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जायेगी।
- (6) विश्ववत् छात्रों के लिये संख्या को ऐप-की व्यवस्था करना आवश्यक
होगा। संख्या विश्ववत् छात्रों को ऐपेश ऐप से इक्कार बही करेगी। इस
संबंध गो प्राप्त शिक्षायत वरि विट् परि गई तो संख्या का अवाप्ति
प्रमाण पत्र सागात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

५१.

*निरन्तर... 2

- (7) छन्न-छत्राओं को शालाओं से लगवे वाले पुस्तके एवं लेखन रागणी सुन्ने बाजार से क्ये करवे की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्ये करवे की बाध्यता बढ़ी रहेगी।
- (8) संस्था के छत्रों को उनके विद्यास से विद्यालय तक लावे एवं वापिस भेजवे के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य काट्टों का ही उपयोग किया जायेगा। छत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जावे वाले गाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलबशील शाष्क जैसे पेटू एवं ०५००५०५० आदि से संबंधित बही किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था गो गाव० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये विदेशों के अनुसार कियाशील अभिन-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी। तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जावे वाले विदेशों का पालन भी करवा होगा।
- (10) छत्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध गो स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विदेशों का पालन करवा होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देवे वाले किन्हीं पुस्तकों का संचालन बढ़ी किया जायेगा और भारत सरकार एवं गांधीप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी बढ़ी रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अविभागितता की शिक्षयत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का विरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अयवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रक्रम की स्कीविंग प्रक्रिया बही अपवाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अनलें की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समाज के समाज के समाज होनी चाहिए के पालन व होने की स्थिति गो संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु साक्षम होंगे।
- (15) सम्यक विरीक्षण के पश्चात एक बार माव्यता प्रदान कर दिये जावे पर सोसायटी/ट्रस्ट माव्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित बही करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का विरीक्षण कर सकते हैं, यदि विरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को माव्यता वियम, 2017 के वियम-१। के उप वियम-(१) में विविर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

//3//

अनुसारण करते हुए स्कूल की गान्धीता गिलंबित करवे और पश्चात्वर्ति
इसे वापिस लेने की शौकेत होगी।

2/ उपर्युक्ताबुसार शर्तों का पालन य करवे पर जारी अवाप्ति प्रगाण पत्र
निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशाबुसार,

७३०.२८८
(के०क००द्विवेदी)

उप सचिव

ग०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि०५३ /७/२०२०

पृ० क्रमांक-५४/७३२/२०२०/२०-३
प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केंद्र, ग०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, ग०प्र० भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संमाग, ग०प्र०
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-व्यालियट, ग०प्र०
- (5) विशेष सहायक, मार्क० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-आदित्य वर्ल्ड स्कूल व्यालियट,
जिला-व्यालियट, ग०प्र०
- (7) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोग्यित।

७३०.२८८

उप सचिव

ग०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग